न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)**

प्रकरण संख्या – 259/2023

अनवान : –

1. सुणाराम पुत्र नोपाराम जाति जाट निवासी भोगराना तहसील नोहर।

– सायल

बनाम्

1. लिछमण उर्फ लिछमणराम पुत्र गंगाजल जाति जाट निवासी भोगराना तहसील नोहर।
2. ओमप्रकाश पुत्र गंगाजल जाति जाट निवासी भोगराना तहसील नोहर।
3. जैसराज पुत्र गंगाजल जाति जाट निवासी भोगराना तहसील नोहर।
4. धोकल पुत्र नोपाराम जाति जाट निवासी भोगराना तहसील नोहर।
5. श्री राम पुत्र नोपाराम जाति जाट निवासी भोगराना तहसील नोहर।
6. हरपत पुत्र नोपाराम जाति जाट निवासी भोगराना तहसील नोहर।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– गैरसायालान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– 1. श्री चन्द्रशेखर अधिवक्ता **सायल**
2. श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **गैरसायल**

निर्णय दिनांकः 27/05/2024

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है की रोही मौजा भोगराना तहसील नोहर के खाता संख्या 119/31 की कुल 14.6820 हैक्ट भूमि प्रार्थी व अप्रार्थीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

सायला व गैरसायलान का खाता मुश्तरका है सायला ने अपने हक हिस्सा की भूमि समतल व उपजाउ बना रखा है तथा सायला ने परिश्रम व मेहनत करके उक्त वाद भूमि को समतल बनाया है। सायल के हक हिस्सा की भूमि अच्छी किस्म की होने के कारण गैरसायलान से सींव लगान व काश्त आदि का झगड़ा रहता है। इसलिए सायल मुताबिक हक हिस्सा व अपना खाता व लगान गैरसायलान से अलग अलग दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

सायल व गैरसाायलान का खाता मुश्तरका है तथा की अच्छी किस्म की कृषि भूमि होने के कारण गैरसायलान टयूबैल व कुंआ खोदने व कनेक्शन करवाना चाहते है अतः अप्रार्थीगण को जब तक खाता विभाजन न हो तब तक टयूबैल व कुआ खोदने से पाबन्द किया जावे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। मौजा रोही भोगराना तहसील नोहर के खाता स0 119/31 की कुल 14.682 हैक्ट भूमि की अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:28:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगण उक्त वाद भूमि के मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे व टयूबवेल व कुंआ खोदने से निषिद्ध रहे।

अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 व 6 की तरफ से श्री नरेन्द्र किशोर जोशी ने वकालतनामा पेश कर जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की उक्त वाद भूमि उभयपक्ष में के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उत्तरदातागण पूर्वजों के बंटवारे के समय से ही वाद भूमि पर काबिज काश्त करते आ रहे है। वाद भूमि मे सीवं, लगान व रास्ता संबंधि कभी भी विवाद नही रहा है उत्तरदातागण मुताबिक कब्जा काश्त के खाता व लगान अलग करवा पाने के अधिकारी है। कब्जा काश्त भूमि के सींव व डोल अलग अलग कायम है। अतः जवाव प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया की उक्त वाद भूमि मुश्तरका खाता की भूमि है एवं गैरसायलान टयूबैल व कुआ बनाना चाहते है अतः जब तक खाता विभाजन नही हो जाता तब तक गैरसायलान के खिलाफ मौका व रिकार्ड की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के आदेश फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया की अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने बहस में निवेदन किया की वाद खाता विभाजन का है। सभी पक्षकारान अपने पूर्वजों द्वारा पूर्व में किये बाहमी बंटवारे के अनुसार वाद भूमि को काश्त करते आ रहे। संयुक्त खाता की भूमि मे जारी अस्थाई निषेधाज्ञा से अप्रार्थीगण केसीसी व राज्य सरकार की अन्य सुविधाओं से वंचित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

बहस उभयपक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सुनी गई। हमने प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहुचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत खाता विभाजन मूल दावें के निर्णय में तय होना है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है?

पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार रोही रोही मौजा भोगराना तहसील नोहर के खाता संख्या 119/31 की कुल 14.6820 हैक्ट भूमि के प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण मुश्तरका खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड है। मुश्तरका खातेदार काश्तकार अपने हक हिस्सा व किस्म भूमि के अनुसार खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग से कायम करवाने का अधिकारी है जो वाद में साक्ष्य पत्रों के आधार पर तय होना है अप्रार्थीगण द्वारा केवल राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने हक व हिस्से की भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल किया जा रहा है किन्तु विशेष हिस्से का बेचान नहीं किया जा सकता है वाद भूमि संयुक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:28:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

खाता में दर्ज है वाद भूमि मुश्तरका खाता में उभयपक्षों के नाम दर्ज होने के कारण प्रथम दृष्टया प्रकरण दोनो पक्षों के पक्ष में पाया जाता है।

अप्रार्थीगण सिर्फ अपने हक व हिस्सा की भूमि को रहन व बैय कर रहे है न कि किसी विशेष भू भाग/ख0न0 को रहन व बैय कर रहे है चूंकि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संयुक्त खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड है, अप्रार्थीगण द्वारा अपने हिस्से को रहन व बैय करने से प्रार्थी को कोई अपूर्णीय क्षति नही होगी क्योंकि अप्रार्थीगण द्वारा केवल राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने हक व हिस्से को ही रहन, बैय किया जा रहा है न कि प्रार्थी के विशेष हिस्से को तथा अप्रार्थीगण द्वारा मुताबिक कब्जा काश्त के अनुसार खाता विभाजन का भी निवेदन किया गया है यह कथन वाद में साक्ष्य सबुतों के आधार पर तय होगा अपुर्णीय क्षति का बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में पाया जाता है

वाद भूमि जो मुश्तरका खाते में दर्ज है का वाद विचाराधीन है जब तक वाद भूमि का खाता विभाजन नही हो जाता तब तक वाद भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण /परिर्वतन किया जाना एव बिना संपरर्वितन करवाये अकृषि कार्य किया जाना न्यायोचित नही है अतः वाद भूमि जो मुश्तरका खाता में है पर किसी प्रकार का निर्माण किसी पक्षकार के द्वारा किया जाता है तो दुसरे पक्ष को नुकसान हो सकता है अतः सूविधा का सन्तुलन का बिन्दु उभयपक्षों के पक्ष में पाया जाता है।

इस प्रकार सयुक्त खातेदार को किसी भी अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित नही है किन्तु सयुक्त खाते की भूमि में जब तक खाता विभाजन नही हो जाता तब तक किसी प्रकार का निर्माण अकृषि उपयोग नही करने हेतु पाबन्द किया जा सकता है

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा आंशिक स्वीकार योग्य होने के कारण आंशिक स्वीकार की जाकर दिनांक 16.10.2023 को जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है तथा उभयपक्षों को पाबन्द किया जाता है कि जब तक वाद भूमि का खाता विभाजन नही हो जाता तब तक वाद भूमि को अकृषि उपयोग व किसी प्रकार का निर्माण कार्य नही किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 27/05/24 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:28:23 IST
Reason: SelfAttested